न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:–12/2019 दायर दिनांक:–26.06.2019

जीसीएमएस नं. 2019/00125

1. समयसिंह पुत्र तोतीराम जाति जाटव निवासी चंदीला तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0
2. रूपसिंह पुत्र तोतीराम जाति जाटव निवासी चंदीला तहसील हिण्डौन जिला करौली
3. दयालसिंह पुत्र तोतीराम जाति जाटव निवासी चंदीला तहसील हिण्डौन जिला करौली

———प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील हिण्डौन, जिला करौली राज0

———अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित –1.श्री प्यारेलाल पोहिया अधिवक्ता प्रार्थी
2 पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ

निर्णय

दिनांक–23.07.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खसरा न0 1060, 1056, 1097 ग्राम चंदीला तहसील हिण्डौन, जिला करौली में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण के पिताजी तोती पुत्र श्री लोहरे खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थीगण के पिताजी का सही नाम तोती पुत्र श्री लोहरे है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों की [illegible] प्रार्थीगण के पिताजी के पिताजी का नाम लोहरें के स्थान पर लहसन्या खसरा संख्या 1060, 1056, 1097 ग्राम चंदीला तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज0) अंकित हो गया है, जबकि प्रार्थीगण के पिताजी के पिताजी का सही नाम लोहरे है। लहसन्या प्रार्थीगण के पिताजी तोती का बाबा था

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:03:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ने अपने पिताजी का निर्वाचन पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत लहचौडा पंचायत समिति हिण्डौन का प्रमाण पत्र, जमाबंदी सम्वत

2073–2076 पेश किये है। जिसमें प्रार्थीगण के पिताजी तोती पुत्र श्री लोहरे जाति जाटव निवासी चदीला अंकित है साविक जमाबंदी 2033–2036, 2037–2040 पेश की है।

प्रार्थीगण के पिताजी के पिताजी का सही नाम लोहरें है। जिसे न्यायहित में प्रार्थीगण के पिताजी के पिताजी के नाम लहसन्या के स्थान पर लोहरे संशोधित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड खसरा संख्या 1060, 1056, 1097 ग्राम चंदीला तहसील हिण्डौन, जिला करौली में तोती पुत्र श्री लोहरे जाति जाटव निवासी चंदीला अंकित किया जावे।

प्रार्थीगण ने अपने पिताजी के पिताजी का नाम लहसन्या के स्थान पर लोहरे संशोधित करने बाबत हल्का पटवारी तथा तहसीलदार हिण्डौन से कहा लेकिन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के आदेश लाने की कहीं। इस कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट में पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट पेश कर निवेदन है कि प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को आदेश दिया जावे की प्रार्थीगण के राजस्व रिकॉर्ड खसरा संख्या 1060, 1056, 1097 ग्राम चंदीला तहसील सूरौठ जिला करौली में तोती पुत्र लहसन्या के स्थान पर तोती पुत्र लोहरे राजस्व रिकॉर्ड खसरा संख्या 1060, 1056, 1097 ग्राम चंदीला तहसील हिण्डौन, जिला करौली संशोधित कर दर्ज करवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ, द्वारा जबाब न्यायालय हाजा में पेश हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 75 के खसरा न0 1056, 1097 कुल रकबा 0.97 है0 , जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 76 के खसरा न0 1060 रकबा 0.41 है0, वाके ग्राम चंदीला तहसील सूरौठ, मिलान क्षेत्रफल, मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, ग्राम पंचायत लहचोडा का प्रमाण पत्र, जमाबन्दी खतोनी संवत 2037–40, जमाबन्दी संवत 2037–40, जमाबन्दी संवत 2023–26, की प्रतियॉ पेश की हैं।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने [illegible] किया है। इसके विपरीत अप्रार्थी पेरोकार सरकार तह[illegible] पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:03:52 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार स[illegible]र तहसीलदार सूरौठ की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड मे वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 75 के खसरा न0 1056, 1097 कुल रकबा 0.97 है0 , जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 76 के खसरा न0 1060 रकबा 0.41 है0, वाके ग्राम चंदीला तहसील सूरौठ, मिलान क्षेत्रफल, मृत्यु

प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, ग्राम पंचायत लहचोडा का प्रमाण पत्र, जमाबन्दी खतोनी संवत 2037–40, जमाबन्दी संवत 2037–40, जमाबन्दी संवत 2023–26, प्राथीगण के पिता तोती खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त दस्तावेजी राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार सूरौठ के जबाव का अवलोकन करने पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी में प्रार्थीगण के पिता तोती पुत्र लहसन्या के नाम के स्थान पर तोती पुत्र लोहरे संशोधन कराने हेतु प्रार्थीगण द्वारा पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने में असफल रहे हैं, अतः प्राथीगण का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी बाबत् आराजी खसरा न0 1056, 1097 कुल रकबा 0.97 है0 , खसरा न0 1060 रकबा 0.41 है0, जमाबन्दी खतोनी संवत 2037–40, जमाबन्दी संवत 2037–40, जमाबन्दी संवत 2023–26, स्थित ग्राम चंदीला तहसील सूरौठ स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

23/7/24

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:03:52 IST
Reason: SelfAttested